# लेखा-योग

संस्थाओं का नियमन (कर्नाटक एवं केरल) ७६वाँ अङ्क – मई '०२ (दिसम्बर '०२ में प्रकाशित)


***इस अङ्क में***


*कर्नाटक* १
*केरल* २
*मालाबार क्षेत्र* २
*केरल के अन्य क्षेत्र* ३


*इस अङ्क के लिए शोध करते समय प्रत्येक राज्य से नवीनतम संशोधित अधिनियम प्राप्त करना बडा कठिन सिद्ध हुआ है। अतः कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व कृपया इस अङ्क में दी गई जानकारी की पुनः पुष्टि कर लें।*

## कर्नाटक

[कर्नाटक संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम[१], १९६० (Karnataka Societies Registration Act, 1960)]

**पञ्जीकरण–** पञ्जीकरण के लिए आवेदन-पत्र[२] के साथ संस्था का सङ्गम-ज्ञापन[३] तथा नियम-विनियम[४] की प्रमाणित प्रतिलिपि जमा करवानी होगी (धारा-८)।

जिस महासभा[५] (जनरल मीटिङ्ग) में पञ्जीकरण का निर्णय लिया गया हो, उस के कार्य-वृत्त (मिनट्स) से सम्बन्धित उद्धरण की प्रतिलिपि भी सङ्गम-ज्ञापन के साथ जमा करवानी होगी।

सभी प्रलेखों को रायचूर, बेल्लारी या शिमोगा जिलों[६] में संस्था के पञ्जिकाधिकारी के पास (१०० रु. शुल्क के साथ) जमा करवाना होगा।

संस्था के पञ्जीकरण के बाद, पञ्जिकाधिकारी एक प्रमाणपत्र अनुसूची 'बी' [नियम ३(५)] के अनुसार निर्गत (इश्यू) करेगें।

[१] पहले यह अधिनियम 'मैसूर संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १९६०' के नाम से जाना जाता था।
[२] जैसा कि अनुसूची 'ए' [नियम ३(१)] में दिया गया है
[३] *मैमोरैण्डम आफ एसोसिएशन*
[४] *रूल्स एण्ड रेगुलेशंस*
[५] अपञ्जीकृत संस्था की
[६] कृपया अपने जिले / क्षेत्र की अधिकारिता की पुष्टि कर लें।

यदि पञ्जिकाधिकारी संस्था का पञ्जीकरण करने से मना[७] करते हैं तो आप कर्नाटक पुनरावेदनीय न्यायाधिकरण[८] में ६० दिनों के अन्दर इस अस्वीकृति के विरुद्ध पुनरावेदन कर सकते हैं।

**परिवर्तन–** आप संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकते हैं, तथा संस्था का नाम भी बदल सकते हैं। इसके लिये महा-निकाय की एक विशेष गोष्ठी का आयोजन करना होगा। गोष्ठी के २१ दिन पूर्व, एक लिखित सूचनापत्र प्रत्येक सदस्य को भेजना अनिवार्य है। ऐसे परिवर्तन को कम से कम तीन-चौथाई (३/४) सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए (धारा-१०)।

कोई भी परिवर्तन होने के ३० दिनों के अन्दर उसकी लिखित जानकारी पञ्जिकाधिकारी को देनी होगी। पञ्जिकाधिकारी की स्वीकृति मिलने के बाद ही ये सारे परिवर्तन प्रभावी होंगे [धारा-१०(२)]।

यदि पञ्जिकाधिकारी किसी परिवर्तन या संशोधन को अस्वीकार करते हैं तो ऐसे में आप कर्नाटक पुनरावेदनीय न्यायाधिकरण में ६० दिनों के अन्दर इसके विरुद्ध पुनरावेदन कर सकते हैं [धारा-१० (३)]।

आप अपनी संस्था का दूसरी संस्था के साथ पूर्णतः अथवा अंशतः विलय भी कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए आपको महा-निकाय[९] के सदस्यों की दो विशेष गोष्ठियों का आयोजन करना होगा। प्रत्येक सदस्य को प्रथम विशेष गोष्ठी के २१ दिन पूर्व, एक लिखित सूचनापत्र भेजना अनिवार्य है। यह परिवर्तन तभी प्रभावी होगा जब दोनों ही गोष्ठियों में कम से कम तीन-चौथाई सदस्य इसका समर्थन करें (धारा-२१)।

**वार्षिक महासभा–** इस अधिनियम के अन्तर्गत पञ्जीकृत संस्था को प्रत्येक वर्ष महा-निकाय के सदस्यों की एक महासभा का आयोजन करना अनिवार्य है [धारा ११(१)]। प्रथम वार्षिक महासभा का आयोजन, पञ्जीकरण के १८ महीनों के अन्दर होना चाहिए। तत्पश्चात् वार्षिक महासभा का आयोजन, प्रत्येक वित्तीय-वर्ष समाप्त होने के ६ महीनों के अन्दर होना चाहिए [धारा ११(२)]।

**शासी-निकाय[१०] की सदस्य-सूची–** यह सूची प्रत्येक वर्ष, वार्षिक महासभा के समापन के १४

[७] अस्वीकृति-पत्र पञ्जीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है [नियम ३(४)]
[८] *कर्नाटक एपेलेट ट्रिब्यूनल*
[९] *जनरल बॉडी*
[१०] *गवर्निङ्ग बॉडी*

दिनों के अन्दर, पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए (धारा-१३)।

**लेखा-सम्बन्धी प्रावधान-** संस्था सभी खातों एवं सम्बन्धित प्रलेखों को अपने पञ्जीकृत कार्यालय अथवा अन्यत्र[११] रख सकती हैं। सभी संस्थाओं को कम से कम निम्नलिखित खाते रखना अनिवार्य है - आय-व्यय खाता, तुलन-पत्र एवं संस्था द्वारा क्रय-विक्रय का अभिलेख (धारा-१२)।

अङ्केक्षित तुलन-पत्र एवं आय-व्यय खाते की एक-एक प्रतिलिपि पञ्जिकाधिकारी के पास जमा[१२] करवायें। आय-व्यय खाते के योग के प्रत्येक लाख[१३] रुपये अथवा उसके किसी भाग के लिए १०० रु. दर से शुल्क भी जमा[१४] करायें (धारा १३)।

**पञ्जिकाधिकारी द्वारा जाँच-** यदि एक-तिहाई सदस्य पञ्जिकाधिकारी के पास जाँच के लिए आवेदन करें, तो पञ्जिकाधिकारी को संस्था की जाँच[१५] करानी होगी। पञ्जिकाधिकारी स्वतः भी ऐसी जाँच आरम्भ करवा सकते हैं (धारा २५)।

जाँच के समय पञ्जिकाधिकारी[१६] को संस्था के लेखा अभिलेख, प्रलेख, प्रतिभूतियाँ, रोकड़ एवं अन्य सम्पत्ति के निरीक्षण का पूरा अधिकार होगा। किसी भी सम्बन्धित प्रलेख को प्रस्तुत करने के लिए वह किसी भी व्यक्ति[१७] को आह्वान-पत्र (सम्मन) भेज सकते हैं। वह शपथ पर उस व्यक्ति का वक्तव्य भी लिपिबद्ध कर सकते हैं।

**विघटन-** यदि संस्था की विशेष सभा में उपस्थित महा-निकाय के सदस्यों में से कम से कम तीन-चौथाई (३/४) सदस्य समर्थन करें तो संस्था का विघटन सम्भव है (धारा-२२)। यदि संस्था में सरकार की सदस्यता, योगदान या अभिरुचि है, अथवा सरकार संस्था से सम्बद्ध है, तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। किन्तु, सरकार स्वयं न तो संस्था को विघटित करने का आदेश दे सकती है और ना ही संस्था का अधिग्रहण कर सकती है।

**विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा-** विघटन के समय किसी संस्था की सम्पत्ति उसके सदस्यों के बीच नहीं बाँटी जा सकती है। सभी दायित्वों और ऋणों के भुगतान के बाद बची हुई सम्पत्ति को संस्था के ३/५ (६० प्रतिशत) सदस्य किसी दूसरी संस्था को देने का निर्णय ले सकते हैं। यदि कोई विवाद हो तो प्रधान व्यवहार न्यायालय[१८] भी यह निर्णय कर सकता है कि सम्पत्ति दूसरी संस्था को दे दी जाय [धारा-२३(१)]। सदस्य इसे राज्य सरकार को देने का निर्णय भी ले सकते हैं [धारा-२३(१)]।

**अन्य प्रावधान-** २५ रु. शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रलेखों को देख सकता है। इन प्रलेखों की पञ्जिकाधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि (प्रति सौ शब्दों के लिये ५ रुपये देकर) भी प्राप्त की जा सकती है (धारा-२४)।

## केरल

इस राज्य में दो अधिनियम लागू होते हैं :-

१ **मालाबार क्षेत्र** - यहाँ पर १९५४ के मद्रास अधिनियम क्रमाङ्क २४ द्वारा संशोधित[१९] संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १८६० लागू होता है।

२ **अन्य क्षेत्र** - यहाँ पर त्रावणकोर-कोचीन साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम[२०], १९५५ लागू होता है।

### मालाबार क्षेत्र

[संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १८६०; १९५४ के मद्रास अधिनियम क्रमाङ्क २४ द्वारा संशोधित (Societies Registration Act, 1860; amended by Madras Act No. 24 of 1954)]

मालाबार क्षेत्र में वर्तमान केरल के ६ जिले आते हैं। ये हैं :- कासरगोड, कण्णूर, कलपेट्टा (वायनाड), कोझिकोड, मलाप्पुरम और पलाक्काड।

**पञ्जीकरण-** पञ्जीकरण के लिए संस्था को अपने सङ्गम-ज्ञापन तथा नियम-विनियम की प्रमाणित प्रतिलिपि पञ्जीकरण महानिरीक्षक[२१] के पास जमा करवानी होगी (धारा-३)।

**परिवर्तन-** आप संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकते हैं, संस्था का नाम बदल सकते हैं, तथा

किसी दूसरी संस्था के साथ विलय भी कर सकते हैं। परन्तु इसके लिए आपको महा-निकाय के सदस्यों

---

[११] जहाँ शासी-निकाय उचित समझें
[१२] शासी-निकाय के सदस्यों की सूची जमा करवाते समय
[१३] अधिसूचना सङ्ख्या RD141MUNOMU 2002 (1) दिनाङ्क ३०.३.२००२ [कर्नाटक संस्थाओं का पञ्जीकरण (संशोधन) नियम, २००२]
[१४] उदाहरण के लिए :- यदि आय १ लाख रुपये हैं तो शुल्क १०० रु. होगा, यदि ३ लाख रुपये हैं तो शुल्क ३०० रु. होगा, यदि ३.२ लाख रुपये हैं तो शुल्क ४०० रु. होगें।
[१५] संस्था के गठन, कार्य-कलाप एवं आर्थिक स्थिति की
[१६] या पञ्जिकाधिकारी द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी
[१७] जो संस्था के खाता-बही, प्रलेख इत्यादि रखते हों

[१८] जिसके पास जिले की आरम्भिक अधिकारिता हो
[१९] अंग्रेजों के शासनकाल में 'मालाबार क्षेत्र' मद्रास प्रैसिडेन्सी के अन्तर्गत था। बाद में उसका केरल राज्य में विलय हो गया। अतः यहाँ अधिनियम का संशोधन मद्रास अधिनियम के द्वारा हुआ है।
[२०] प्रभावी तिथि : २० अगस्त, १९५५ - अधिसूचना सङ्ख्या Em. 8-4032/55/EHL के द्वारा
[२१] हमें स्थान की जानकारी नहीं है।

की दो गोष्ठियों[२२] का आयोजन करना होगा और उसमें उपस्थित ३/५ (६० प्रतिशत) सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना होगा (धारा-१२)।

**शासी-निकाय की सदस्य सूची-** यह सूची प्रत्येक वर्ष, वार्षिक महासभा के समापन के १४ दिनों के अंदर संस्थाओं के पञ्जीकरण महानिरीक्षक के पास जमा करवानी चाहिए। यदि वार्षिक सभा नहीं होती हो तो इस सूची को जनवरी में जमा करवाएँ (धारा-४)।

**लेखा-सम्बन्धी प्रावधान-** इस अधिनियम में खातों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

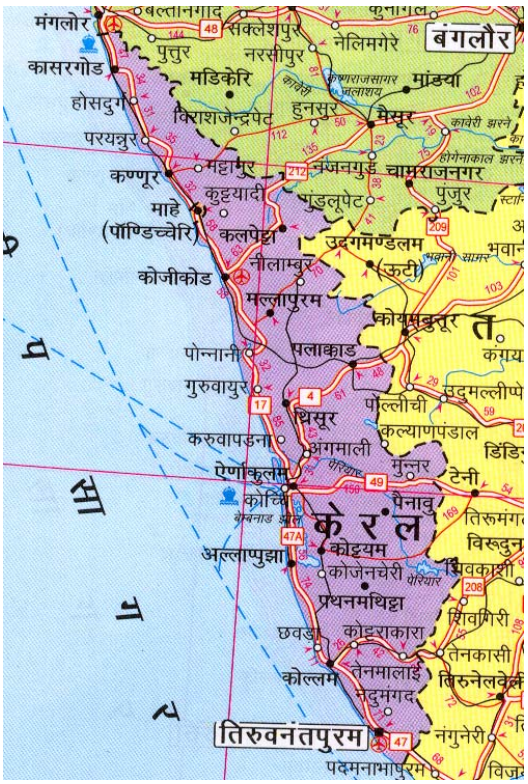


**विघटन-** यदि महासभा में उपस्थित सदस्यों में से कम से कम ३/५ (६० प्रतिशत) सदस्य समर्थन करें तो संस्था का विघटन सम्भव है (धारा-१३)। यदि संस्था में सरकार की सदस्यता, योगदान या अभिरुचि है, अथवा सरकार संस्था से सम्बद्ध है, तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। किन्तु, सरकार स्वयं न तो संस्था को विघटित करने का आदेश दे सकती है और ना ही संस्था का अधिग्रहण कर सकती है।

**विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा-** विघटन के समय किसी संस्था की सम्पत्ति उसके सदस्यों के बीच नहीं बाँटी जा सकती है। किन्तु, विघटन के समय उपस्थित कम से कम ३/५ (६० प्रतिशत) सदस्य समर्थन करें तो सभी दायित्वों और ऋणों के भुगतान के बाद बची हुई सम्पत्ति दूसरे संस्था को दी जा सकती है (धारा-१४)।

[२२] एक माह के अन्तराल पर

**अन्य प्रावधान-** एक रुपया शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रलेखों को देख सकता है। इन प्रलेखों की महानिरीक्षक द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्राप्त की जा सकती है (धारा-१६)।

### केरल के अन्य क्षेत्र

[त्रावणकोर-कोचीन साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १९५५ (The Travancore-Cochin Literary, Scientific and Charitable Societies Registration Act, 1955)]

केरल के बाकी जिलों (थ्रिशूर, एर्णाकुल्लम, इडुक्की, कोट्टयम, आलप्पुझा, पथनामथीट्टा, कोल्लम एवं तिरुवनन्तपुरम) में त्रावणकोर अधिनियम लागू होता है।

**पञ्जीकरण-** पञ्जीकरण के लिए संस्था को अपने सङ्गम-ज्ञापन तथा नियम-विनियम की प्रमाणित प्रतिलिपि १०० रुपये शुल्क के साथ संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी होगी (धारा-३)।

**परिवर्तन-** आप संस्था के उदेश्यों में परिवर्तन कर सकते हैं तथा किसी दूसरी संस्था के साथ विलय भी कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए आपको महा-निकाय के सदस्यों की दो गोष्ठियों[२३] का आयोजन करना होगा और उनमें उपस्थित ३/५ (६० प्रतिशत) सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना होगा (धारा-१८)।

सङ्गम-ज्ञापन तथा नियम-विनियम में परिवर्तन के लिए संस्था को अपनी महासभा में इस संदर्भ में एक प्रस्ताव पारित करना होगा। इसके बाद, इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि[२४], महासभा के समापन के १४ दिनों के अन्दर पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी होगी (धारा-२२)।

इस अधिनियम में संस्था का नाम बदलने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

**वार्षिक महासभा-** शासी-निकाय का यह कर्तव्य है कि वह पञ्जीकरण के १८ महीनों के अन्दर संस्था के प्रथम वार्षिक महासभा का आयोजन करें। तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष (जनवरी से दिसम्बर) में एक वार्षिक महासभा का आयोजन करना चाहिए। दो वार्षिक महासभाओं में १५ माह से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए [धारा ७(१)]।

**शासी-निकाय की सदस्य सूची-** संस्था के शासी-निकाय की न्यूनतम सदस्यता तीन है। यह सूची प्रत्येक वर्ष, वार्षिक महासभा के समापन के १४ दिनों के अन्दर पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए [धारा ७(३)]।

**लेखा-सम्बन्धी प्रावधान-** संस्था के उचित खाते रखने का दायित्व शासी-निकाय का है (धारा-१२)।

[२३] एक माह के अन्तराल पर
[२४] शासी-निकाय के कम से कम ३ सदस्यों द्वारा प्रमाणित

शासी-निकाय के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा प्रमाणित एवं अङ्केक्षक द्वारा अङ्केक्षित तुलन-पत्र तथा आय-व्यय खाते को वार्षिक महासभा के समापन के २१ दिनों के अन्दर पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवाएँ (धारा-१३)।

राज्य सरकार संस्था के शासी-निकाय को यह निर्देश भी दे सकती है कि वे समय-समय पर संस्था का तुलन-पत्र तथा आय-व्यय खाता जमा करायें।

पञ्जिकाधिकारी[२५] यदि चाहें तो वह समय-समय पर संस्था के खातों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। पञ्जिकाधिकारी अपने निरीक्षण का प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपते हैं। शासी-निकाय के सदस्यों[२६] का यह कर्तव्य है कि वे निरीक्षण अधिकारी को उनके निरीक्षण के समय हर सम्भव सहायता प्रदान करें [धारा १६(१)]।

निरीक्षण अधिकारी संस्था के परिसर में प्रवेश कर सकते हैं, अन्य सम्बन्धित स्थान की छानबीन कर सकते हैं और यदि उचित समझें तो संस्था के प्रलेखों को अधिग्रहित[२७] भी कर सकते हैं [धारा १६(२)]।

राज्य सरकार प्रतिवेदन के पुनर्विलोकन के बाद उचित आदेश पारित कर सकती है [धारा १६(२)]।

**विघटन-** यदि महासभा में उपस्थित सदस्यों में से कम से कम ३/५ (६० प्रतिशत) सदस्य समर्थन करें तो संस्था का विघटन सम्भव है। यदि संस्था में सरकार की सदस्यता, योगदान या अभिरुचि है, अथवा सरकार संस्था से सम्बद्ध है, तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है (धारा-२३)।

इसके अतिरिक्त, संस्था के कुल सदस्यों में से कम से कम १० प्रतिशत सदस्य सम्मिलित होकर जिला न्यायालय[२८] में भी संस्था के विघटन के लिए आवेदन कर सकते हैं (धारा-२३)। राज्य सरकार भी ऐसा आवेदन जिला न्यायालय में कर सकती है। किन्तु, सरकार स्वयं न तो संस्था को विघटित करने का आदेश दे सकती है और ना ही संस्था का अधिग्रहण कर सकती है।

**विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा-** विघटन के समय किसी संस्था की सम्पत्ति उसके सदस्यों के बीच नहीं बाँटी जा सकती है। किन्तु, सभी दायित्वों और ऋणों के भुगतान के बाद बची हुई सम्पत्ति को संस्था के उपस्थित सदस्य बहुमत से राज्य सरकार[२९] अथवा समान उद्देश्यों वाली दूसरी संस्था को देने का निर्णय ले सकते हैं (धारा-२४)।

**अन्य प्रावधान-** एक रुपया शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रलेखों को देख सकता है। इन प्रलेखों की पञ्जिकाधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्राप्त की जा सकती है (धारा-३१)।

[२५] या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी
[२६] तथा संस्था के अन्य कर्मचारियों
[२७] यदि उन्हें लगे कि संस्था के खाते बिना उचित कारण के छिपाये जा रहे हैं।
[२८] जहाँ संस्था पञ्जीकृत है।
[२९] आपसी सहमत उपबन्धों पर

## सम्बन्धित लेखा·योग -

०१: संस्था, न्यास या कम्पनी
६०: संस्थाओं का नियमन - आन्ध्र प्रदेश से दिल्ली तक
६२: पंजीकृत संस्था - १
७८: संस्थाओं का नियमन - गुजरात से जम्मू एवं कश्मीर तक
८०: संस्थाओं का नियमन - मध्य प्रदेश से मेघालय तक
८१: संस्थाओं का नियमन - मिज़ोरम से पंजाब तक
८२: संस्थाओं का नियमन - राजस्थान से तमिलनाडु तक
८३: संस्थाओं का नियमन - त्रिपुरा से पश्चिम बंगाल तक

**लेखा·योग क्या है-** 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है 'दो सङ्ख्याओं को जोड़ना'। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद् गीता में निष्काम कर्म को ही योग बताया गया है। लेखा-कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करें तो अवश्य ही संस्थाओं के लेखा-जोखा में सुधार होगा। **लेखा·योग** का यही उद्देश्य है।

**लेखा·योग** (AccountAble™) हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखाविधि प्रणाली से सम्बन्धित, विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दाता संस्थाओं व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म्स) में लगभग १,२०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। **लेखा·योग** के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है, यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

**आङ्ग्ल भाषा में लेखा·योग-** This issue of *Lekha-Yog* is available in English as AccountAble.

**विधि व्याख्या-** यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गई है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाता से सम्मति ले लें।

**लेखा·योग का वाभ-स्वरूप-** **लेखा·योग** के सभी पुराने अङ्कों के आङ्ग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। इनका हिन्दी वाभ-स्वरूप कुछ समय पश्चात् प्राप्त हो सकेगा।

**अकाउण्टएड कैपस्यूल्स-** जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखाविधि प्रणाली से सम्बन्धित, विभिन्न विषयों पर छोटी-छोटी परन्तु महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अकाउण्टएड कैपस्यूल्स आङ्ग्ल भाषा में उपलब्ध हैं। इस सुविधा के लिए कृपया accountaid-subscribe@topica.com पर ई-डाक भेजें।

अपने प्रश्न व सुझाव हमें इस पते पर भेजें: अकाउण्टएड इण्डिया ५५-**बी**, पॉकेट-सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली - ११० ०१४ दूरभाष : ०११ - २६३४ ३१२८; दूरभाष /प्रतिरूप प्रेषिका : २६३४ ६०४१, ई-डाक : accountaid@vsnl.com; accountaid@gmail.com.

© AccountAid™ India दिसम्बर, सन् २००२ ईस्वी;
पौष विक्रम संवत् २०५९